

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार

भारत सरकार द्वारा 1992 में स्थापित तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान ने साम्प्रदायिक एकता और/अथवा राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से दो "राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार" स्थापित किये हैं। इन पुरस्कारों में एक पुरस्कार 'व्यक्ति' की श्रेणी में तथा दूसरा 'संगठन' की श्रेणी में उनके द्वारा साम्प्रदायिक एकता तथा राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में लम्बे समय तक किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान है। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र तथा निम्नानुसार धन-राशि सम्मिलित हैं:-

1. व्यक्ति के लिए : पाँच लाख रुपये
2. संगठन / संस्था के लिए : दस लाख रुपये

1. उद्देश्य

ये पुरस्कार निम्नलिखित गतिविधियों को मान्यता देकर साम्प्रदायिक एकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किये गये हैं:-

- (i) समाज के दिग्भ्रांत तत्वों को हिंसा का मार्ग त्यागने के निमित्त प्रेरित करने तथा साम्प्रदायिक द्वेष एवं क्षेत्रीय बैरभाव को हतोत्साहित करने के लिए;
- (ii) सहनशीलता तथा एकता जैसे विशेष सिद्धांतों का सक्रिय तथा प्रबल विस्तार करने के लिए;
- (iii) राष्ट्रीय एकता तथा दृढ़ता के उद्देश्य से समाज की रचनात्मक शक्तियों को एकजुट करने और उन्हें नेतृत्व, प्रोत्साहन तथा मुखरता प्रदान करने के लिए;
- (iv) देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर बल देते हुए भाईचारे की भावना विकसित करने वाले सामुदायिक क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए;
- (v) भाषायी अथवा जातीय भेदभावों से ऊपर उठकर विभिन्न समुदायों के बीच राष्ट्रीय एकता और सद्भाव का प्रसार करने तथा निमित्त काम करने के लिए; और
- (vi) समान मूल्यों तथा सांस्कृतिक बंधनों पर बल देते हुए देश में रहने वाले लोगों के बीच एकता के लिए कार्य करने के लिए।



The National Communal Harmony Awards

The National Foundation for Communal Harmony is an autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1860. It was set up by the Government of India in 1992 for promotion of communal harmony and national integration. The Foundation has instituted two “National Communal Harmony Awards” - one in the ‘Individual’ category and the other in the ‘Organisation’ category. The Awards are decided every year for outstanding contribution to promotion of communal harmony and/or national integration over a period of time. The Awards carry a citation and cash amount as indicated below.

- i) Individual : Rs. 5.00 Lakh
- ii) Organisation : Rs. 10.00 Lakh

1. Objectives

(a) The Awards have been instituted to promote communal harmony by recognising activities relating to :

- (i) discouraging communal ill-will and regional animosities and weaning the misguided elements of society away from the path of violence;
- (ii) active and energetic propagation of the principles, especially of tolerance and harmony;
- (iii) mobilising constructive forces of society in the cause of national unity and solidarity and giving them leadership, encouragement and articulation;
- (iv) devising suitable community activities and programmes for fostering fellow feeling emphasizing the secular character of the country;
- (iv) propagating and working for national integration and harmony between different communities, irrespective of religious, linguistic or ethnic differences; and
- (v) asserting the common values and cultural ties which bind or act as unifying factor among the people living in this country.

2. पात्रता

किसी व्यक्ति एवं संगठन को ये पुरस्कार किसी स्थिति में उसके अकेले अथवा छुट-पुट प्रयास के लिए नहीं बल्कि काफी लम्बी अवधि की गतिविधियाँ और कार्य-निष्पादनों के आधार पर दिये जाते हैं।

(क) कोई व्यक्ति पुरस्कार पाने के लिए विचारपात्र है, यदि वह,

- (i) राष्ट्रीय एकीकरण तथा साम्प्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में कम-से-कम दस वर्षों से काम करता रहा हो ;
- (ii) संसद, राज्य के विधान मंडल और संसद या राज्य के विधान मंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय निकाय का निर्वाचित पद धारण न करता हो ;
- (iii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राजनैतिक दल का सदस्य न हो ; और
- (iv) नामांकन की तिथि को व्यक्ति जीवित हो और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो ;

(ख) किसी संगठन के मामले में यह आवश्यक होगा कि संगठन,

- (i) संसद या राज्य विधान मंडल के किसी समुचित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो ;
- (ii) अखिल भारतीय स्तर पर अथवा कम-से-कम राज्य स्तर पर क्रियाशील हो। यदि संगठन की गतिविधियाँ राज्य स्तर पर हैं तो उस स्थिति में संगठन के क्रियाकलापों का विस्तार राज्य के व्यापक भू-भाग तक हो ; और
- (iii) राष्ट्रीय एकीकरण तथा साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष से कार्यरत हो।

(ग) संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठित कोई शैक्षणिक संस्था या निकाय पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं।



2. Eligibility

The Awards are given to an individual and an organisation on the basis of their activities and performance over a sufficiently long period of time rather than on the basis of single or sporadic act in any situation.

- (a) An individual is eligible for consideration of the Award if he/she
 - (i) has been working in the area of national integration and communal harmony for a minimum period of ten years;
 - (ii) does not hold any elective office in Parliament, State Legislature or local body constituted under an Act of Parliament or the State Legislature ;
 - (iii) is not a member of a political party recognised by the Election Commission of India ; and
 - (iv) is above 35 years of age and is alive on the date of nomination.
- (b) In the case of an organisation, it is essential that the organisation
 - (i) is registered under an appropriate Act of Parliament or State Legislature;
 - (ii) has been working at the all-India level, or at least state level, (in case activities of the organisation are at the state level, these should be spatially well dispersed and extended to cover a substantial area of the state); and
 - (iii) should have been functioning for a minimum of five years in the field of promotion of national integration and communal harmony.
- (c) No educational institution or a body created under an Act of Parliament or State Legislature is eligible for the Awards.

3. प्रक्रिया

- (क) पुरस्कार के लिए नामांकन का प्रस्ताव (i) राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश, (ii) नगर निगम/म्युनिसिपल बोर्ड/जिला पंचायत (राज्य में ये चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाते हों), (iii) लोक सभा/राज्य विधान सभा का अध्यक्ष, (iv) संसद तथा राज्य विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्य (v) राष्ट्रीय एकता परिषद् का सदस्य/राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के शासी परिषद् व कार्यकारी परिषद् का सदस्य, (vi) विश्वविद्यालय का उप-कुलपति, (vii) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार प्राप्तकर्ता, (viii) साम्प्रदायिक सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित तथा प्रख्यात संगठन द्वारा भेजा जा सकता है। **किसी संगठन द्वारा स्वयं अपना या अपने किसी सदस्य का नामांकन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है।**
- (ख) नामांकन के साथ प्रस्तावक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित व हिन्दी अथवा अंग्रेजी में टाइप की हुई पाण्डुलिपि जिसमें व्यक्ति/संगठन द्वारा साम्प्रदायिक एकता तथा राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में दिए गए वर्ष वार उत्कृष्ट योगदान का उल्लेख किया गया हो, भी संलग्न की जाएगी। साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया जाएगा कि प्रस्तावक किन कारणों से उसे पुरस्कार पाने का पात्र मानता है। प्रस्तावक अपने नाम, पद और श्रेणी का स्पष्ट विवरण दें।
- (ग) संगठन के नामांकन के मामले में उनके पंजीकरण प्रमाण—पत्र की प्रतिलिपि, नियम तथा उपनियम, पदाधिकारियों के नाम और पते तथा विभिन्न पदाधिकारियों के बीच संबंध, पिछले तीन वर्षों के सम्परीक्षित लेखों के विवरण तथा संगठन द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का सार भी संलग्न किया जाये।
- (घ) वर्ष 2019 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30 जून 2019 है। नामांकित व्यक्तियों एवं संगठनों से अनुरोध है कि नामांकन अथवा संबंधित अन्य सूचनाएं एवं कागजात इत्यादि समय सीमा के अन्दर प्रेषित करें ताकि इस प्रतिष्ठान को 30 जून 2019 तक अवश्य प्राप्त हो जायें। जब तक कि प्रतिष्ठान द्वारा विशेष तौर पर माँगे न जाएं, निर्धारित तिथि के बाद नामांकनों से संबंधित प्राप्त सूचनाएं अथवा कागजात इत्यादि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- (ङ) पुरस्कार प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रभाव संप्रेषण करने से नामांकन अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- (च) नामांकनों पर ज्यूरी द्वारा विचार किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।



3. Procedure

- (a) The nominations for the Awards shall be sent by (i) State Governments/Union Territory Administrations, (ii) Municipal Corporation/Municipal Board/Zila Panchayats by whatever name these are called in State, (iii) Speakers of Lok Sabha/Vidhan Sabhas, (iv) Members of Parliament and State Legislatures, (v) Members of the National Integration Council/Governing Council or Executive Council of the National Foundation for Communal Harmony (vi) Vice-Chancellors of universities (vii) Recipients of the National Communal Harmony Awards and (viii) Organisations of repute dedicated to promotion of communal harmony and national integration. **Nominations can not be made by an organisation for itself or for any of its members.**
- (b) Nominations shall be accompanied by a typed script in English or Hindi indicating the yearwise outstanding contribution made by the individual/organisation duly signed by the person making the nomination indicating the reasons why he/she considers him/her or the organisation as deserving the Award. The nominating authority should clearly indicate his/her name, designation and category in which it falls.
- (c) Nominations for organisations shall also be accompanied by a copy of the registration certificate, rules and bye-laws of the organisation, names of office bearers and their addresses alongwith relationship between different office bearers, and audited statement of accounts during the last three years and a resume of the outstanding work done by the organisation.
- (d) For the year 2019, the last date for receipt of the nominations is the 30th June, 2019. The nominees are advised to send their nominations and all other requisite information/papers, etc. relating to their nomination within the stipulated time- frame so as to reach this Foundation latest by the 30th June, 2019. No information / papers, etc. relating to nominations shall be entertained after the cut off date of receipt of nomination unless specifically requested by NFCH.
- (e) Canvassing in any form in respect of nomination shall render it disqualified.
- (f) Nominations shall be considered by a Jury and its decision in respect of the Award shall be final.

4. पुरस्कारों की घोषणा

पुरस्कारों की घोषणा प्रति वर्ष 26 जनवरी को की जाती है। यद्यपि किन्हीं कारणवश यदि इन पुरस्कारों की घोषणा उक्त तिथि को नहीं हो पाती है तो इनकी घोषणा उसके बाद शीघ्रातिशीघ्र की जायेगी।

5. पुरस्कार वितरण

- (क) पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित समारोह में किया जाता है।
- (ख) पुरस्कृत व्यक्ति/संगठन को पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए आने-जाने का व्यय प्रतिष्ठान के नियमानुसार दिया जायेगा।

6. सामान्य

- (क) नामांकन से संबंधित सभी पत्र व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में होना चाहिए। यदि संबंधित संलग्न दस्तावेज़ किसी प्रादेशिक भाषा में हैं तो उनका हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद नामांकन प्रस्ताव के साथ होना आवश्यक है।
- (ख) यह माना जायेगा कि नामांकित व्यक्ति/संगठन को पुरस्कार के नियम स्वीकार हैं।



4. Announcement of Awards

The Awards shall be announced every year on the 26th January. However, if due to unforeseen/unavoidable reasons it is not possible to announce the Award on the 26th January these shall be announced as soon as possible thereafter.

5. Award Presentation

- (i) Presentation of the Awards shall be made at a ceremony to be organised by the National Foundation for Communal Harmony (NFCH).
- (ii) The recipient of the Award shall be reimbursed to and fro expenditure for attending the investiture ceremony for the presentation of Award as per rules of NFCH.

6. General

- (i) All correspondence in the matter should be made either in Hindi or English. In case documents in regional languages are enclosed, their translation in Hindi or English should accompany the proposal.
- (ii) Any person/organisation nominated for the Award shall be deemed to have accepted these rules.

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव प्रतिष्ठान

(गृह मंत्रालय के साथ भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

नौवां तल, 'सी' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव पुरस्कार नामांकन-व्यक्ति

नामांकित
व्यक्ति का
पासपोर्ट
साइज़ फोटो


1. नामांकित व्यक्ति का ब्यौरा

- i नाम :
- ii पिता का नाम :
- iii पद, यदि हो :
- iv आवासीय पता, टेलीफोन, ई-मेल एवं फैक्स नम्बर सहित :
- v कार्यालय का पता, यदि हो :
- vi नामांकित व्यक्ति की जन्म-तिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :
- vii जीवन यापन का साधन/व्यवसाय :
- viii वार्षिक आय (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :
- ix शैक्षिक योग्यता (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :
- x धार्मिक संप्रदाय :
- xi समुदाय (अ. जाति/अ.ज. जाति/अ.पि.व.) :
- xii क्या नामांकित व्यक्ति कोई निर्वाचित पद धारण करता है? यदि हां, तो विवरण दें। :
- xiii क्या नामांकित व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राजनीतिक दल का सदस्य है? :

NATIONAL FOUNDATION FOR COMMUNAL HARMONY

(An autonomous organisation with the Ministry of Home Affairs, Government of India)
9th Floor, 'C' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003

THE NATIONAL COMMUNAL HARMONY AWARD NOMINATION-INDIVIDUAL



1. Particulars of the nominee

- i. Name :
- ii. Father's Name :
- iii. Designation, if any :
- iv. Residential address with phone, e-mail & fax numbers :
- v. Location of the office, if any :
- vi. Date of birth of the nominee :
(Proof to be enclosed)
- vii. Source of livelihood/occupation :
- viii. Annual income :
(Proof to be enclosed)
- ix. Educational qualifications :
(Proof to be enclosed)
- x. Religious denomination :
- xi. Whether belongs to SC/ST/OBC ? :
- xii. Whether the nominee is holding any elective office? :
If so, the details thereof.
- xiii. Whether the nominee is member of any political party recognised by the Election Commission? :
If so, the details thereof.

2. प्रस्तावक का नाम एवं पता :
3. नामांकन दाखिल करने की तिथि :
4. i क्या नामांकित व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों से कार्यरत रहा है? :
- ii नामांकित व्यक्ति कितने वर्षों से साम्प्रदायिक सद्भाव और/अथवा राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है? :
- iii क्या नामांकित व्यक्ति की साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में गतिविधियां राष्ट्र स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर या कुछ ही शहरों/कस्बों तक सीमित हैं (प्रमाण पत्र संलग्न करें)? :
5. नामांकित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित उनकी उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा (500 शब्दों में)। :
6. नामांकित व्यक्ति द्वारा वर्ष-दर-वर्ष किये गये साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान का उल्लेख करते हुए, प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित हिन्दी अथवा अंग्रेजी में कम से कम 10 वर्षों के कार्यकलापों का टाईप किया हुआ सार। :
- (एकांकी, नाटक चलचित्र, वास्तविक प्रयास/अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द के अवरोध हेतु सूचना देना और/अथवा साम्प्रदायिक सद्भाव को स्थापित करना/राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना जो कि दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित हों) :
7. प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन की सिफारिश का कारण (250 शब्दों में)। :
8. नामांकित व्यक्ति द्वारा प्रकाशित साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में पुस्तकों/प्रकाशनों तथा कहानियों, इत्यादि के नाम (ब्यौरा प्रस्तावक द्वारा प्रमाणित हो)। :



2. Name and address of the proposer :
3. Date of submission of the nomination :
4. i. Whether the individual has worked for communal harmony and national integration for at least 10 years? :
- ii. Number of years the individual has been working for communal harmony and national integration :
- iii. Whether the individual has been working for communal harmony and national integration at all India level or state level or limited to a few towns? (Documentary proof to be enclosed) :
5. Brief account of achievements of the nominee (strictly in 500 words only) duly signed by the nominee. :
6. To be accompanied by an year-wise typewritten script in Hindi or English indicating the outstanding contribution made by the nominee towards maintenance of communal harmony and/or promotion of national integration at least during the last 10 years duly signed by the proposer : (e.g. plays, dramas, films, physical efforts made and/or information supplied for prevention of communal flare-up supported with authentic documentary proof either in Hindi or English.) :
7. Reasons for recommending the nomination duly signed by the proposer (in 250 words). :
8. Name of books, publications, stories, etc. published by the nominee in the area of communal harmony and national integration: (Details to be verified/certified by the proposer) :

9. राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव के प्रसार को ध्यान में रखते हुए, प्रकाशनों इत्यादि के सार का मूल्यांकन (जैसा कि मद सं. 8 में दिया गया है) किसी उत्कृष्ट व्यक्ति द्वारा सत्यापित (उत्कृष्ट व्यक्ति का ब्यौरा दिया जाये)।
10. साम्प्रदायिक सदभाव एवं राष्ट्रीय एकता से संबंधित नामांकित व्यक्ति द्वारा पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों के नाम/सूची (दस्तावेजों सहित प्रमाणित करें)। ऐसे पुरस्कारों को प्रदान करने वाले प्राधिकारी के पद/संस्था के स्तर का विवरण दें।

आवश्यक निर्देश:

1. नामांकन भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि नामांकित व्यक्ति ने साम्प्रदायिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों का योगदान दिया हो, जो इस पुरस्कार हेतु एक आवश्यक वांछित योग्यता/पात्रता है।
2. उक्त पुरस्कार के नामांकन हेतु नामांकित व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सभी सूचनाओं इत्यादि अथवा उक्त सूचनाओं को गलत रूप से प्रस्तुत किए जाने इत्यादि संबंधित जिम्मेदारी नामांकित व्यक्ति अथवा प्रस्तावक पर होगी।
3. पुरस्कार संबंधी नियमानुसार अयोग्य/अनुपयुक्त नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. प्रस्तावक अथवा नामांकित व्यक्ति द्वारा मद संख्या-5 से 10 के अंतर्गत वांछित सभी सूचनाओं की सॉफ्ट कॉपी सीडी में भी उपलब्ध करानी होगी।
5. नामांकन संबंधी सभी कागजात/दस्तावेज इत्यादि ठीक प्रकार से पृष्ठांकित तथा क्रमवार व्यवस्थित कर इस प्रतिष्ठान को भेजे जाने चाहिए। साथ ही नामांकन संबंधी सूचक अलग से उपलब्ध करानी होगी।
6. नामांकन से संबंधित प्राप्त दस्तावेज/कागजात वापस नहीं किए जाएँगे।
7. नामांकन संबंधी सूचना आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को दी जा सकती है।

घोषणा :

मैंने राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव पुरस्कार के नामांकन संबंधी पात्रता शर्तों, नियमावली एवं आवश्यक निर्देश भली भांति पढ़ ली है तथा मैं समझता/समझती हूँ कि उक्त पुरस्कार के लिए आवेदन करने हेतु मैं पात्र हूँ। पुरस्कार के लिए मेरे द्वारा अथवा मेरे प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सूचनाओं, दस्तावेजों इत्यादि के विषय में मैं अपने आपको पूर्ण रूप से जिम्मेदार मानता/मानती हूँ।

(आवेदक का हस्ताक्षर)

नाम:

दिनांक :

9. Evaluation in Hindi or English of the publications etc. of the nominee (as indicated in item 8 above) from the point of view of promotion of communal harmony and national integration by some eminent person. (The details on such eminent person to be mentioned.)
10. Name/list of previous awards obtained by the individual particularly concerning communal harmony and national integration (please attach documentary proof). Status of the authorities conferring such awards to be stated.

Important Note:

1. While applying for this Award, the nominee must be satisfied that he/she has substantially worked for communal harmony and national integration at least for a period of 10 years, which is an essential eligibility condition to apply for this Award. The nomination may not be considered if the said condition is not fulfilled/not complied with.
2. For all the claims made in the nomination or the information submitted with the Application Form, the responsibility of any misrepresentation of facts/information, etc. will be on the nominee/proposer.
3. Nominations found ineligible/unsuitable for this Award in terms of the Rules on the subject, will not be considered.
4. The-sponsoring authority/nominee should submit nomination duly completed in all respects along with a CD containing all the requisite information against item Nos. 5 to 10 above.
5. All the papers/documents, etc. given in the nomination should be properly paginated and chronologically arranged and a separate index should be given indicating the details of information/papers/ documents furnished.
6. Documents/papers submitted to the Foundation are non-returnable.
7. Information provided may be shared on public domain, if required.

Declaration :

I have carefully read all the eligibility conditions, rule positions and Important Note on the National Communal Harmony Award. I feel that I am eligible to apply for this Award as per the rules and submit my nomination to NFCH. I am responsible for all the information provided by me or my proposer in this nomination for the said Award.

(Signature of the Nominee)

Name :

Date :

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान

(गृह मंत्रालय के साथ भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

नौवां तल, 'सी' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार नामांकन-संगठन

1. नामांकित संगठन का ब्योरा
 - i संगठन का नाम :
 - ii पंजीकरण की तिथि :
 - iii कार्यालय का स्थान/पता :
 - iv टेलिफोन/फैक्स नम्बर :
 - v ई-मेल :
 - vi स्थानों के नाम जहाँ पर संगठन की शाखायें कार्य कर रही हैं, यदि हों। :
 - vii संगठन के पदाधिकारियों के नाम एवं पते, उनके जीवन यापन का साधन, वार्षिक आय, शैक्षिक योग्ताएं, धर्म तथा उनका एक दूसरे से संबंध। :
2. प्रस्तावक का नाम एवं पता :
3. नामांकन दाखिल करने की तिथि :
4.
 - i क्या नामांकित संगठन साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्षों तक कार्यरत रहा है? :
 - ii नामांकित संगठन कितने वर्षों से साम्प्रदायिक सद्भाव और/अथवा राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है? :
 - iii क्या नामांकित संगठन की गतिविधियाँ कुछ शहरों तक सीमित हैं/कुछ राज्यों तक सीमित हैं अथवा पूरे देश में व्यापक हैं? (प्रमाण पत्र संलग्न करें)। :



NATIONAL FOUNDATION FOR COMMUNAL HARMONY

(An autonomous organisation with the Ministry of Home Affairs, Government of India)
9th Floor, 'C' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003

THE NATIONAL COMMUNAL HARMONY AWARD NOMINATION - ORGANISATION

1. Particulars of the nominee organisation

- i. Name of the organisation :
 - ii. Date of Registration :
 - iii. Location of the office :
 - iv. Phone/Fax No. :
 - v. E-mail :
 - vi. Name of stations and addresses where branches of the organisation, if any, are functioning :
 - vii. Statement showing names and addresses of the office bearers, educational qualifications, their source of livelihood & annual income, religious denomination and also relationship between different office bearers :
2. Name and address of the proposer :
 3. Date of submission of nomination :
 4.
 - i. Whether the organisation has worked for communal harmony and national integration for at least 5 years? :
 - ii. Number of years the organisation has been working for communal harmony and national integration. :
 - iii. Whether the organisation has been working for communal harmony and national integration at all India level or at State level or limited to a few towns? (Documentary proof to be enclosed). :

5. निम्नलिखित संलग्न करें :
 - i रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति :
 - ii संगठन के संगम ज्ञापन और अनुच्छेद नियम एवं उपनियम की प्रति :
 - iii गत तीन वर्षों का तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) एवं लेखापरीक्षित (ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट्स) की प्रति। :
6. संगठन के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित संगठन की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा (500 शब्दों में) :
7. नामांकित संगठन द्वारा पिछले पाँच वर्षों में वर्ष-दर-वर्ष किये गये साम्प्रदायिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित हिन्दी अथवा अंग्रेजी में टाईप किया हुआ सार।

(संगठन के विशेष कार्यकलापों जैसे एकांकी, नाटक, चलचित्र, वास्तविक प्रयास/अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द के संरक्षण हेतु प्रयास जो दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित हों)। :
8. प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन की सिफारिश का कारण (250 शब्दों में)। :
9. नामांकित संगठन द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में प्रकाशित पुस्तकों तथा कहानियों इत्यादि के नाम (ब्यौरा प्रस्तावक द्वारा प्रमाणित हो)। :
10. राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रसार को ध्यान में रखते हुए, नाटकों और दूसरे प्रकाशनों इत्यादि के सार का मूल्यांकन (जैसा कि मद सं. 9 में दिया गया है) किसी उत्कृष्ट व्यक्ति द्वारा सत्यापित (उत्कृष्ट व्यक्ति का ब्यौरा दिया जाये)। :



5. To be accompanied by :
 - i. a copy of the certificate of registration;
 - ii. a copy each of the Memorandum and Articles of Association, rules and bye-laws of the organisation ;
 - iii. copies of the balance sheet and audited statement of Accounts for the last three years.
6. Brief account of achievements of the organisation (strictly in 500 words only) duly signed by the competent person of the organisation.
7. To be accompanied by an year-wise typewritten script in Hindi or English indicating the outstanding contribution made by the nominee towards maintenance of communal harmony/promotion of national integration at least during the last 5 years duly signed by the proposer (e.g. plays, dramas, films, physical efforts made and/or efforts for prevention of communal flare-up supported with authentic documentary proof either in Hindi or English.)
8. Reasons for recommending the nomination duly signed by the proposer (in 250 words).
9. Name of books, publications, stories, etc. published by the organisaiton in the area of communal harmony and national integration (Details to be verified/certified by the proposer)
10. Evaluation in Hindi or English of the publication, etc. of the nominee (as indicated in item 9 above) from the point of view of promotion of communal harmony and national integration by some eminent person (The details on such eminent person to be mentioned).

11. नामांकित संगठन द्वारा पूर्व में प्राप्त साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता से संबंधित पुरस्कारों के नाम/सूची (दस्तावेजों सहित प्रमाणित करें) ऐसे पुरस्कारों को प्रदान करने वाली संस्था/प्राधिकारी के स्तर की जाँच करके उसका विवरण दें।

आवश्यक निर्देश:

1. नामांकन भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि नामांकित संगठन ने साम्प्रदायिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में कम से कम पिछले 5 वर्षों का योगदान दिया हो, जो इस पुरस्कार हेतु एक आवश्यक वांछित योग्यता/पात्रता है।
2. उक्त पुरस्कार के नामांकन हेतु नामांकित संगठन द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सभी सूचनाओं इत्यादि अथवा उक्त सूचनाओं को ग़लत रूप से प्रस्तुत किए जाने इत्यादि संबंधित जिम्मेदारी नामांकित संगठन अथवा प्रस्तावक पर होगी।
3. पुरस्कार संबंधी नियमानुसार अयोग्य/अनुपयुक्त नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. प्रस्तावक अथवा नामांकित व्यक्ति द्वारा मद संख्या-6 से 11 के अंतर्गत वांछित सभी सूचनाओं की सॉफ्ट कॉपी सी.डी. में भी उपलब्ध करानी होगी।
5. नामांकन संबंधित सभी कागज़ात/दस्तावेज़ इत्यादि ठीक प्रकार से पृष्ठांकित तथा क्रमवार व्यवस्थित कर इस प्रतिष्ठान को भेजे जाने चाहिए। साथ ही नामांकन संबंधी सूचक अलग से उपलब्ध करानी होगी।
6. नामांकन से संबंधित प्राप्त दस्तावेज़/कागज़ात वापस नहीं किए जाएँगे।
7. नामांकन संबंधी सूचना आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को दी जा सकती है।

घोषणा :

मैंने राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार के नामांकन संबंधी पात्रता शर्तों, नियमावली एवं आवश्यक निर्देश भली भाँति पढ़ ली है। तथा मैं समझता/समझती हूँ कि उक्त पुरस्कार के लिए आवेदन करने हेतु हमारा संगठन पात्र है। पुरस्कार के लिए मेरे संगठन द्वारा अथवा संगठन के प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सूचनाओं, दस्तावेज़ों, इत्यादि के विषय में मैं अपने आपको पूर्ण रूप से जिम्मेदार मानता/मानती हूँ।

(संगठन के प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)

नाम :

पद :

11. Name/list of previous awards obtained by the organisation particularly concerning communal harmony and national integration (please attach documentary proof). (Status of the authorities conferring such awards to be stated).

Important Note:

1. While applying for this Award, the nominee organisation must be satisfied that their organisation has worked for communal harmony and national integration at least for a period of 5 years, which is an essential eligibility condition to apply for this Award. The nomination may not be considered if the said condition is not fulfilled/not complied with.
2. For all the claims made in the nomination or the information submitted with the Application Form, the responsibility of any misrepresentation of facts/information, etc. will be on the nominee/proposer.
3. Nominations found ineligible/unsuitable for this Award in terms of the Rules on the subject, will not be considered.
4. The-sponsoring authorities/nominee should submit nomination duly completed in all respects along with a CD containing all the requisite information against item Nos. 6 to 11 above.
5. All the papers/documents, etc. given in the nomination should be properly paginated and chronologically arranged and a separate index should be given indicating the details of information papers/ documents furnished.
6. Documents/papers submitted to the Foundation are non-returnable.
7. Information provided may be shared on public domain, if required.

Declaration :

I have carefully read all the eligibility conditions, rule positions and Important Note on the National Communal Harmony Award. I feel that our organisation is eligible to apply for this Award as per the rules and submit the nomination to NFCH. I am responsible for all the information provided by me or my proposer in this nomination for the said Award.

(Signature of the Competent
Person of the organisation)

Name :

Designation:

Date :

पुरस्कार विजेताओं की सूची

क्र.सं.	व्यक्ति / संगठन का नाम	श्रेणी	वर्ष
1.	कौमी एकता ट्रस्ट, दिल्ली	संगठन	1997
2.	श्री असगर अली इंजीनियर, महाराष्ट्र	व्यक्ति	1997
3.	मौलाना वहीदुद्दीन खान, दिल्ली	व्यक्ति	1998
4.	भारतीय विद्या भवन, महाराष्ट्र	संगठन	1999
5.	भक्ति साहित्य शोध संस्थान, आन्ध्र प्रदेश	संगठन	2000
6.	डा. तोंटाडा सिद्धलिंग स्वामी, कर्नाटक	व्यक्ति	2001
7.	श्रीमती सईदा नसीम चिश्ती, दिल्ली	व्यक्ति	2002
8.	नेशनल यूथ प्रोजेक्ट ट्रस्ट, दिल्ली	संगठन	2003
9.	आचार्य श्री महाप्रज्ञ, दिल्ली	व्यक्ति	2004
10.	अखिल भारत रचनात्मक समाज, दिल्ली	संगठन	2004
11.	सुश्री हेमा भराली, असम	व्यक्ति	2005
12.	रामकृष्ण मिशन, पश्चिम बंगाल	संगठन	2005
13.	श्री रबीन्द्रनाथ उपाध्याय, असम	व्यक्ति	2006
14.	इंस्टीट्यूट फॉर सोशललिस्ट एडुकेशन, दिल्ली	संगठन	2006
15.	श्री राम पुनियानी, महाराष्ट्र	व्यक्ति	2007
16.	सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट, महाराष्ट्र	संगठन	2007
17.	डा. डोमनिक इमानुएल एस.वी.डी., दिल्ली	व्यक्ति	2008
18.	अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशाँ, दिल्ली	संगठन	2008
19.	श्री मो. इनीफ खान शास्त्री, दिल्ली	व्यक्ति	2009
20.	सेन्टर फार ह्यूमन राइट्स एण्ड सोशल वेलफेयर, राजस्थान	संगठन	2009
21.	आचार्य लोकेश मुनि, दिल्ली	व्यक्ति	2010
22.	श्री खामलियाना, मिज़ोरम] संयुक्त रूप से	2011
23.	श्री अब्दुल बारी, ओडिशा		2011
24.	फाउन्डेशन फार अमिटी एण्ड नेशनल सालिडैरिटी, दिल्ली	संगठन	2012
25.	डॉ. एन. राधाकृष्णन, केरल] संयुक्त रूप से	2013
26.	डॉ. मोहिन्दर सिंह, दिल्ली		2013
27.	सेन्टर फार स्टडी ऑफ सोसाइटी एण्ड सेकुलरिज़्म, महाराष्ट्र	संगठन	2013

LIST OF AWARD WINNERS

S. No.	Name of Individual/Organisation	Category	Year	
1.	Qaumi Ekta Trust, Delhi	Organisation	1997	
2.	Shri Asghar Ali Engineer, Maharashtra	Individual	1997	
3.	Maulana Wahiduddin Khan, Delhi	Individual	1998	
4.	Bhartiya Vidya Bhawan, Maharashtra	Organisation	1999	
5.	Bhakti Sahitya Shodh Sansthan, Andhra Pradesh	Organisation	2000	
6.	Dr. Tontada Siddhaling Swami, Karnataka	Individual	2001	
7.	Smt. Syeda Naseem Chishti, Delhi	Individual	2002	
8.	National Youth Project Trust, Delhi	Organisation	2003	
9.	Acharya Shri Mahapragya, Delhi	Individual	2004	
10.	Akhil Bharat Rachnatmak Samaj, Delhi	Organisation	2004	
11.	Ms. Hema Bharali, Assam	Individual	2005	
12.	Ramakrishna Mission, West Bengal	Organisation	2005	
13.	Shri Rabindra Nath Upadhyaya, Assam	Individual	2006	
14.	Institute for Socialist Education, Delhi	Organisation	2006	
15.	Shri Ram Puniyani, Maharashtra	Individual	2007	
16.	Setu Charitable Trust, Maharashtra	Organisation	2007	
17.	Dr. Dominic Emmanuel SVD, Delhi	Individual	2008	
18.	Anjuman Sair-E-Gul Faroshan, Delhi	Organisation	2008	
19.	Shri Mohammad Hanif Khan Shastri, Delhi	Individual	2009	
20.	Center for Human Rights & Social Welfare, Rajasthan	Organisation	2010	
21.	Acharya Lokesh Muni, Delhi	Individual	2010	
22.	Shri Khamliana, Mizoram	} Jointly	Individual	2011
23.	Shri Abdul Bari, Odisha		Individual	2011
24.	Foundation for Amity and National Solidarity, Delhi	Organisation	2012	
25.	Dr. N. Radhakrishnan, Kerala	} Jointly	Individual	2013
26.	Dr. Mohinder Singh, Delhi		Individual	2013
27.	Centre for Study of Society and Secularism, Maharashtra	Organisation	2013	